MANUAL – 8

SEC 4. (1) (b) (viii) A STATEMENT OF THE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES CONSISTING OF TWO OR MORE PERSONS CONSTITUTED AS ITS PART OR FOR THE PURPOSE OF ITS ADVISE, AND AS TO WHETHER MEETINGS OF THOSE BOARDS, COUNCILS, COMMITTEES AND OTHER BODIES ARE OPEN TO THE PUBLIC, OR THE MINUTES OF SUCH MEETINGS ARE ACCESSIBLE FOR PUBLIC

1. Ministry of Textiles, Government of India vide its letter No.11/31/2020-Fibre-I dated 14.09.2020 has formulated a Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) for estimation of various data on cotton including production, supply, demand, export and closing stock of cotton etc. every year to help planning strategy for development of the Cotton Sector.

2. Ministry of Textiles, Government of India vide its O.M.No.11/18/2022-Fibre-I dated 25.05.2022 has constituted Textile Advisory Group (TAG) for Cotton, an informal group of deliberate and recommend on issues pertaining to the entire cotton value chain.

3. Hank Yarn Price Monitoring Committee : The committee under the chairmanship of Tx.C. to take stock of the availability and price of hank yarn, the major raw material for the handloom sector.

4. Rajbasha(Hindi) Implementation Committee : For the progressive implementation of the Rajbhasha (Hindi) office, such committees are formed at each office level, location and area level and state level.

5. Powerloom Programme Cluster Implementation and Coordination Committee (PPCICC) : At the ITADC level, normally under the chairmanship district collector or such a senior officer of the State Govt., to over see the overall development of powerloom cluster.

6. TAMC Technical Advisory cum Monitoring Committee . The committee meets whenever necessity is there.

The committees and boards mentioned above are meant for the overall development of the various sectors of the Textile Industry and the decisions taken in these committees and boards are for the development of the Industry and are percolated to the various areas of the industry for the effective utilization of policies for overall development. Over and above, officers of this office as well as Regional Offices & Integrated Textile & Apparel Development Center (ITADC) are members of various committees formed by other agencies especially in the textile field in their region.

मैनुअल – 8

SEC 4. (1) (बी) (viii) उन बोर्ड, काउंसिल, कमिटी और अन्य निकायों का विवरण, जिनमें दो या उससे अधिक व्यक्ति शामिल हों और जो इसके हिस्से के तौर पर या सलाह देने के उद्देश्य से गठित किए गए हों; साथ ही यह जानकारी कि क्या इन बोर्ड, काउंसिल, कमिटी और अन्य निकायों की बैठकें आम जनता के लिए खुली होती हैं, या क्या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध होता है।

1. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11/31/2020-फाइबर-I दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से कपास उत्पादन और खपत पर एक समिति (सीओसीपीसी) का गठन किया है, जो कपास क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए हर साल कपास के उत्पादन, आपूर्ति, मांग, निर्यात और क्लोजिंग स्टॉक आदि सहित कपास पर विभिन्न आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए है।

2. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 25.05.2022 को अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/18/2022-फाइबर-I के माध्यम से कपास के लिए वस्त्र सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया है, जो संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और सिफारिश करने वाला एक अनौपचारिक समूह है.

3. हैंक यार्न मूल्य निगरानी समिति : हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल हैंक यार्न की उपलब्धता और कीमत का जायजा लेने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में समिति।

4. राजभाषा कार्यान्वयन समिति : कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कार्यालय में ऐसी समितियों का गठन किया जाता है।

5. पावरलूम कार्यक्रम क्लस्टर कार्यान्वयन और समन्वय समिति (पीपीसीआईसीसी) : आईटीएडीसी स्तर पर, आमतौर पर जिला कलेक्टर या राज्य सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में, पावरलूम क्लस्टर के समग्र विकास की निगरानी करने के लिए।

6. टीएएमसी तकनीकी सलाहकार सह निगरानी समिति जब भी आवश्यकता होती है, समिति की बैठक होती है।

ऊपर उल्लिखित समितियां और बोर्ड वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए हैं और इन समितियों और बोर्डों में लिए गए निर्णय उद्योग के विकास के लिए हैं और समग्र विकास के लिए नीतियों के प्रभावी उपयोग के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल हैं। इसके अलावा, इस कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और एकीकृत वस्त्र और परिधान विकास केंद्र (आईटीएडीसी) अन्य एजेंसियों द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य हैं, विशेष रूप से अपने क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र में।